<u>भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/55/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

<u>जॉच शुरूआत अधिसूचना</u>

<u>मामला संख्या एडी (ओआई)-48/2025</u>

दिनांक: 30 सितंबर, 2025

विषय: बांग्लादेश, चीन जन.गण., थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म ('पीईटी फिल्म') के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच

फा. संख्या 6/55/2025-डीजीटीआर चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) के अनुसार, बांग्लादेश, चीन जन गण, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म (जिसे आगे 'पीईटी फिल्म' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश, चीन जन., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न या निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने बांग्लादेश, चीन जन., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से

विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। तथापि, प्रथम दृष्टया जाँच के अनुसार, प्राधिकारी ने पाया है कि ताइवान से क्षतिकारक आयातों की मात्रा नगण्य है और ताइवान के विरुद्ध जाँच प्रारंभ करना उचित नहीं है। तदनुसार, वर्तमान जाँच बांग्लादेश, चीन जन., थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे आगे "विषयगत देश" भी कहा जाएगा) से उत्पन्न या निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात के संबंध में शुरू की गई है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

1. विचाराधीन उत्पाद 8-100 माइक्रोन की "पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" या बाइएक्सली ओरिएंटेड पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म है। इसे आमतौर पर पीईटी फिल्म या पॉलिएस्टर फिल्म के रूप में जाना जाता है। यह एक पारदर्शी, लचीली, पारदर्शी या पारभासी फिल्म है और इसके उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है। पीईटी फिल्म एक तरफ या दोनों तरफ प्लेन, रासायनिक कोटेड, ऐक्रेलिक कोटेड, धातुकृत फिल्म हो सकती है। ऐसी सभी पीईटी फिल्में बाइएक्सली ओरिएंटेड होती हैं और एक ही कच्ची सामग्री से और एक ही तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती हैं, इसलिए, इन प्रकारों की भौतिक और तकनीकी विशेषताएँ समान होती हैं।

2. सौर पैनलों में उपयोग हेतु पीईटी फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

3. विचाराधीन उत्पाद का व्यापक रूप से खाद्य पैकेजिंग, कॉस्मेटिक पैकेजिंग और अन्य लचीली पैकेजिंग जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर वस्तुओं में पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों में विद्युत इन्सुलेशन, विद्युत सामग्री पैकेजिंग और चुंबकीय टेप के रूप में और अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जाता है जहाँ स्थायित्व की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग मुद्रण के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग लेबल, पोस्टर, अन्य मुद्रित सामग्री और चिपकने वाले टेप और सिलिकॉन फिल्म के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सोने और चांदी के धागों के निर्माण के लिए आधार और चमक प्रदान करने के लिए भी किया जाता है।

4. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत शीर्ष 3920 और 3921 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तु का आयात टैरिफ कोड 3920 6210, 3920 6220, 3920 6290, 3920 6919 और 3921 9094 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. आवेदकों ने वर्तमान चरण में किसी भी पीसीएन पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जाँच के पक्षकार इस जाँच की शुरूआत की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ तकनीकी विशिष्टताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध वस्तु से तुलनीय विशेषताएँ रखती हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

7. यह आवेदन चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों के अलावा, समान वस्तु के उत्पादन में शामिल अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं। बारह (12) घरेलू उत्पादकों, अर्थात् आकाश पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, एजियोस पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड, धुनसेरी पॉली फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जनरल पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएलएस पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, साज इंडस्ट्रीज

प्राइवेट लिमिटेड, एसएमएल फिल्म्स लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और यूफ्लेक्स लिमिटेड ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन का समर्थन करते हुए पत्र प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों और समर्थकों के अलावा, 4 अन्य उत्पादक ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान जाँच का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।

8. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जाँच में सहयोगी, यूफ्लेक्स लिमिटेड ने अलग से संपूर्ण लागत और क्षति संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है और इसे घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी जाँच की प्रक्रिया के दौरान उत्पादक के ऐसे अनुरोध की जाँच करेंगे।

9. इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि दो घरेलू उत्पादक अर्थात् एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के ऐसे निर्यातकों से संबंधित हैं, जिन्होंने जाँच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इसलिए, आवेदकों का दावा है कि एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है।

10. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्होंने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

11. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 25% से अधिक हिस्सा बनाते हैं और समर्थकों के साथ मिलकर भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

11. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश बांग्लादेश, चीन जन गण, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

ङ. **जाँच अवधि**

12. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ स्वीकार की गई जाँच अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में जाँच अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जाँच अवधि शामिल है।

च. **कथित पाटन का आधार**

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के अनुच्छेद 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. अत:, वर्तमान जॉच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना है और भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य की गणना आवेदकों की उत्पादन लागत, विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए उचित लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित कीमत, के आधार पर की गई है।

अन्य देशों के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास बांग्लादेश, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू बिक्री कीमतों या उत्पादन की वास्तविक लागत का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, आवेदकों ने उत्पादन लागत, विधिवत समायोजित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है।

16. प्राधिकारी ने इस जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदकों के दावे को स्वीकार कर लिया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

17. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में दर्शाए अनुसार, संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, हैंडलिंग शुल्क, अंतर्देशीय माल भाड़ा और बैंक प्रभार के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है ताकि कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

<u>पाटन मार्जिन</u>

18. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं

कि संबंधित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा समग्र रूप से और भारत में घरेलू उत्पादन एवं मांग के सापेक्ष दोनों में बढ़ी है। संबद्ध वस्तुएँ भारत में संबद्ध वस्तु की मांग से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की कीमतों में गिरावट आई और वे घरेलू उद्योग की लागत से भी कम हो गईं। बिक्री में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वृद्धि हुई। यह दावा किया गया है कि चूँकि घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें लागत से कम कर दीं, इसलिए उसे भारी घाटा, नकद घाटा और निवेश पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा।

20. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि आयात की मात्रा में तीव्र वृद्धि, आयात कीमतों में गिरावट, निर्यातकों के पास उपलब्ध महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताएँ, माँग से अधिक क्षमताएँ, संबद्ध देशों में आसन्न क्षमता वृद्धि, वैश्विक अति-आपूर्ति की स्थिति, व्यापार सुधारात्मक उपाय और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ उपायों को देखते हुए, संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति पहुँचने का खतरा है।

21. इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने का खतरा है।

ज. <u>शुल्क का पूर्वव्यापी अधिरोपण</u>

22. आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लगाना आवश्यक है:

क. संबद्ध वस्तुओं का देश में बड़े पैमाने पर पाटन किया जा रहा है।

ख. संबद्ध देशों के निर्यातक अन्य देशों में वस्तु का पाटन कर रहे हैं, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि अन्य देशों ने ऐसे देशों पर व्यापार सुधारात्मक कार्रवाई लागू की है।

ग. अतः, आयातकों को संभवतः यह जानकारी रही होगी कि संबद्ध देशों के निर्यातक पाटन करते हैं और ऐसे पाटन से क्षति होगी।

घ. आयात की मात्रा बहुत ही कम अवधि, अर्थात् केवल एक वर्ष में, अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे आवेदकों के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

24. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

25. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों, जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हैं, के आधार पर तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

26. वर्तमान जाँच में नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी को समस्त पत्र ईमेल पतों jd11-dgtr@gov.in और dir14-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोधों का वर्णनात्मक भाग पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट में और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जाँच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

31. हितबद्ध पक्षकारकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के साथ-साथ जाँच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. <u>समय सीमा</u>

32. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना/अनुरोध प्राधिकारी को नियम 6(4) के अनुसार, इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ईमेल पतों jd11-dgtr@gov.in और dir14-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। तथापि, नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज़ों को मंगाने वाले नोटिस को, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या संबंधित देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर

प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस मामले में अपनी हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएँ और उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

34. जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय-विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

35. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहाँ ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

36. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

37. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने

का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

38. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

39. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

40. हितबद्ध पक्षकार इस जॉच शुरूआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफ के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

41. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित

कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

42. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।

43. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने लेने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ़. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

44. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. <u>असहयोग</u>

45. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी